



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1898 / 12-1 दिनांक, मसूरी 15-12-2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है० वन भूमि, का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

अधिशायी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड, (टिहरी गढ़वाल) की पत्र सं० 1783/21सी०, दिनांक 18-11-2016 / प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/10527/2015।

महोदय,

अधिशायी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड, (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मय सी०डी० इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया है। प्रभाग स्तर से जांच / परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति प्रेषित है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा दि० 18-12-2012 से 21-12-2012 एवं इस कार्यालय के पत्र सं० 1453/12-1, दिनांक 24-10-2016 के क्रम में पुनः दि० 8-11-2016 को किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 255 वृक्ष बाधित होने निहित है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखण का दिनांक 14-10-2016 तथा दि० 29-11-2016 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

पत्रांक

1898

/दिनांकित।

प्रतिलिपि - अधिशायी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड, (टिहरी गढ़वाल) को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

भवदीय

(डा० साकेत बडोला भा.व.से.)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(डा० साकेत बडोला भा.व.से.)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल)।



E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com

Phone & Fax:- 01376-246321.

पत्रांक 1783 / 21/11/16

दिनांक 18 / 11 / 2016

सेवा में,

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है0 वन भूमि, का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र सं0 1453 / 12-1 दिनांक 24.10.2016।

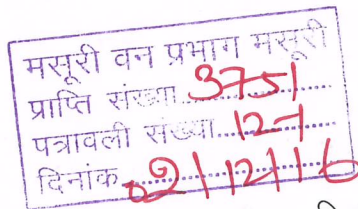
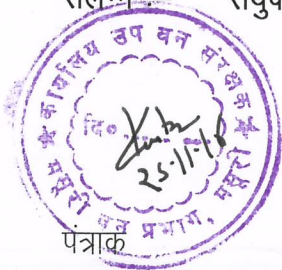
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 14.10.2016 को विषयगत मोटर मार्ग के संमरेखण के स्थलीय निरीक्षण हेतु कोई पूर्व सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी जिस कारण इस खण्ड का कोई अधिकारी/कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच सके।

यह भी अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 04.11.2016 को जो स्थालीय निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी थी उसमें हमारे खण्ड से सहायक अभियन्ता, श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता श्री अनुराग त्रिपाठी व खण्डीय अमीन श्री बचन सिंह मौके पर उपस्थित रहे तथा आपके विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर दिनांक 08.11.2016 को जो आख्या तैयार की गयी, आपको इस सूचना के साथ प्रेषित है कि पूर्व में किया संमरेखण सही है तथा उसी पर स्थनीय जनता प्रस्तावक विभाग, एवं स्वयं वन विभाग भी सहमत है।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग की संयुक्त निरीक्षण आख्या आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- संयुक्त निरीक्षण आख्या।



18/11/16
(इं0 ए0एस0 मण्डारी)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टि0ग0)

दिनांक / / 2016

प्रतिलिपि :- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल
2. सहायक अभियन्ता, चतुर्थ

संलग्न 2
25.11.16

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टि0ग0)

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

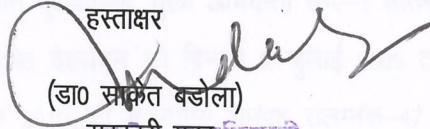
7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग (5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 2.975 है० वन भूमि का लो०नि०वि० अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	2.975 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.8750 हैक्टर आरक्षित वन भूमि श्रीपुर क०सं०-1 0.4375 हैक्टर आरक्षित वन भूमि महिपुर क०सं०-3 1.6625 हैक्टर सि०सा० /वन पंचायत भूमि ग्राम श्रीपुर एवं मथेट गांव 2.975 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 255 वृक्ष वाधित हैं। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची भूमिवार प्रस्ताव के संलग्नक- 17 से 29 पर चरप्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत भूवैज्ञानिक, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून की दिनांक 9 जुलाई 2009 तथा 22 दिसम्बर 2010 की भू-गर्भीय आख्या संलग्नक-47 से 52 तक प्रस्ताव पर चरप्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि बांदल वीट-2 के श्रीपुर कक्ष सं०-1 एवं महिपुर कक्ष सं० 3 तथा ग्राम श्रीपुर व ग्राम मथेट की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-30 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो०नि०वि० एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-58 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एवं राजस्व विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 62 पर संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक- 38ए, 38बी, एवं 38सी पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक-38ए, 38बी, एवं 38सी पर चस्पा है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक- 41ए व 41 बी पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 13,81,812.00 (रु0 तेरह लाख इक्कासी हजार आठ सौ बारह मात्र) परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्नक 41ए व 41 बी पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0 13,81,812.00 (रु0 तेरह लाख इक्कासी हजार आठ सौ बारह मात्र) तथा परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्नक रु0 14,67,576.00 (रु0 चौदह लाख सठसठ हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र) प्रस्ताव के संलग्नक 41ए व 41 बी पर चस्पा है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक-11 पर है। वर्णित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25-10-2013 तथा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29-11-2016 को किया गया है, जो कि संलग्नक-11 ए पर की गई संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्न है।

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग/जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 93 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 976.9032 है० है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 / 622.9106 है० हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 203.90 है० / 478.88 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29-11-2016 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 15.12.2016।

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

 नाम:- (डा० सचिन बडोला)
 प्रसरकारी मुहराधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Ty. Division, P.W.D Thatyur (Tehri Garhwal), for "Construction of R.K.K motor marg to Bharvakatal – Sripur motor marg (Proposed Length- 5.00K.M)" under FCA-1980 of 2.975 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of R.K.K motor marg to Bharvakatal – Sripur motor marg (Proposed Length- 5.00K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 29.11.2016 .

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Private Forest + Civil Forest (RF 1.3125 ha. + PF 0.00 ha.+CF 1.6625 ha. = 2.975 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

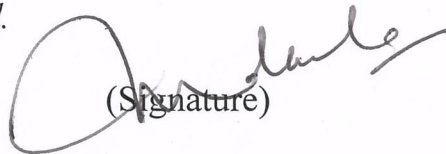
Whether any rare/ endangered /unique species of flora and fauna is found in the area. If so the details there of: No.

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, If so the details there of with NOC from competent authority, if required:- No.

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.(√)
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)] Act 1980 provided. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation)] Act 1980 is attached.(x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Proposal is recommended.


(Signature)

Name (Dr. Saket Badola)
Designation प्रभागीय वन अधिकारी.....
Office Seal मसुरी वन प्रभाग, मसुरी

Place - Mussoorie

Date – 29.11.2016

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.